



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-28022026-270572  
CG-CG-E-28022026-270572

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 998]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 2026/फाल्गुन 7, 1947

No. 998]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 2026/PHALGUNA 7, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

विलासपुर, 24 फरवरी, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20A के तहत अधिसूचना

**का.आ. 1042(अ).**—केंद्रीय सरकार रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20(क) की उपधारा (1) जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केंद्रीय सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिये संतुष्ट होने के बाद ऐसी भूमि का जिसका संक्षिप्त विवरण सलग अनुसूची में दिया गया है, जो कि विशेष रेल परियोजना दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अन्तर्गत झारसुगड़ा-रायगढ़, रायगढ़-चांपा, चांपा-गेवरा रोड, चांपा-विलासपुर, तिल्दा-विलासपुर, तिल्दा-दुर्ग, दुर्ग-दारेकसा, दारेकसा-मुंडीकोटा, मुंडीकोटा-नागपुर, विलासपुर-पेंडारोड-अनूपपुर और रायपुर-लखोली के मध्य में मौजूदा 1x25KV ट्रेक्शन सिस्टम को 3000 MT लोडिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2x25 KV एटी फीडर व्यवस्था में अपग्रेड करने हेतु उड़ीशा, छत्तीसगढ़ एवम् महाराष्ट्र राज्य में निष्पादन के लिए आवश्यक है एतद द्वारा अधिग्रहण करने के आशय की घोषणा करती है। उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20 (घ) की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन एवं उपयोग के सम्बन्ध पर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी यानी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, रामटेक, जिला नागपुर, महाराष्ट्र एवं उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, तिरोडा, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र को स्वयं या किसी वकील के माध्यम से लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित किये जायेंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आक्षेप

कर्ता को व्यक्तिगत रूप से या किसी वकील के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जांच यदि कोई हो तो करने के पश्चात् जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझें, आदेश द्वारा आक्षेपों को या तो अनुगत या अननुगत कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 (घ) की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा, इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन एवं अन्य व्योरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अन्तर्गत झारसुगडा-रायगढ़, रायगढ़-चांपा, चांपा-गेवरा रोड, चांपा-बिलासपुर, तिल्दा-बिलासपुर, तिल्दा-दुर्ग, दुर्ग-दारेकसा, दारेकसा- मुंडीकोटा, मुंडीकोटा-नागपुर, बिलासपुर-पेंडारोड-अनूपपुर और रायपुर-लखोली के मध्य में मौजूदा 1x25KV ट्रेक्शन सिस्टम को 3000 MT लोडिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2x25 KV एटी फीडर व्यवस्था में अपग्रेड करने हेतु उड़ीशा, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र राज्य में अधिग्रहण किये जाने के लिए संरचना रहित या सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण—

जिला - नागपुर					राज्य - महाराष्ट्र			
क्र	अनुबिभागीय अधिकारी (रा०)/ सक्षम पदाधिकारी	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	भू स्वामी का नाम	किस्म	गट क्रमांक	कुल क्षेत्रफल (हे० में)	अर्जित क्षेत्रफल (हे० में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी रामटेक, जिला-नागपुर	पारशिवनी	खंडाला - घ	हरीश मनोहर गायधने व दिप्ती अशोक मदनकर	कृषि कृषि कृषि	177 178 179	0.42 0.42 0.42	0.800
Total							1.26	0.800
जिला - गोंदिया					State - Maharashtra			
1	उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी तिरोड़ा, जिला-गोंदिया	तिरोड़ा	काचेवानी	अजय छोटेलाल दुबे	कृषि	516	2.58	0.800
2	उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी तिरोड़ा, जिला-गोंदिया	तिरोड़ा	भंबोडी	नामदेव लक्ष्मण अटराहे	कृषि कृषि	88 89	0.12 0.12	0.225
Total							2.72	1.025

[फा. सं. सीपीएम/इले/ बीएसपी/ 2X25 के.वी. ओ.एच.ई/भूमि अधि./20A/1732]

विजय कुमार साहू, मुख्य प्रसाशनिक अधिकारी(निर्माण)

**MINISTRY OF RAILWAYS****(South East Central Railway)****NOTIFICATION**

Bilaspur, the 24th February, 2026

**Notification Under Section 20 A of the Railway Act 1989**

**S.O. 1042(E).**—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 20(A ) of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred as the said act) , the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for execution of Special Railway Project, namely for Up-gradation of existing 1x25KV Traction System to 2x25KV OHE with AT feeder arrangement between Jharsugda-Raigarh, Raigarh-Champa, Champa – Gevra Road, Champa-Bilaspur, Tilda-Bilaspur, Tilda-Durg, Durg- Darekasa, **Darekasa- Mundikota, Mundikota-Nagpur**, Bilaspur-Pendra Road-Anuppur & Raipur-Lakholi sections over SEC Railway to meet 3000MT loading target in the state of Odisha, Chhattisgarh and Maharashtra over SEC railway, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of 30 days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub section (1) of section 20 (D) of the said act.

Every objection shall be made to the competent authority namely, Sub Divisional officer Ramtek, District Nagpur for Khandala-gha and Sub Divisional officer Tirora, District Gondia for Kachewani and Bhambodi, Maharashtra in writing and shall set out grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub section (2) of section 20 (D) of the said act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the proposed Special Railway Project namely for Up-gradation of existing 1x25KV Traction System to 2x25KV OHE with AT feeder arrangement between Jharsugda-Raigarh, Raigarh-Champa, Champa- Gevra Road, Champa-Bilaspur, Tilda-Bilaspur, Tilda-Durg, **Darekasa- Mundikota, Mundikota-Nagpur**, Bilaspur-Pendra Road-Anuppur & Raipur-Lakholi sections over SEC Railway to meet 3000MT loading target in the state of Maharashtra.

Details of land being acquired with or without structure in the state of Maharashtra –

District – Nagpur					State - Maharashtra			
SN	SDM (Rev.)/ Competent Authority	Name of Tehsil	Name of Village	Nature of ownership	Nature of land	Land Gat no.	Total area (in Hec)	Area to be acquired (in Hec)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SDO (Rev) Ramtek (Distt. - Nagpur), Maharashtra	Parshivni	Khandala - gha	Harish Manohar Gaydhane and Deepti Ashok Madankar	Krishi	177	0.42	0.800
					Krishi	178	0.42	
					Krishi	179	0.42	
<b>Total</b>							<b>1.26</b>	<b>0.800</b>

		<b>District – Gondia</b>			<b>State – Maharashtra</b>			
1	SDO (Rev)	Tiroda	Kachewani	Ajay Chhotelal Dubey	Krishi	516	2.58	0.800
2	Tiroda (Distt. - Gondia), Maharashtra	Tiroda	Bhambodi	Namdev Lakshman Atrahe	Krishi	88	0.12	0.225
					Krishi	89	0.12	
					<b>Total</b>		<b>2.72</b>	<b>1.025</b>

[F. No. CPM/Elc. /BSP/2x25KV OHE/Land Acquisition/20 A/1732]

VIJAY KUMAR SAHU, Chief Administrative Officer (Construction)